अपील सूचना अधिकार संख्या 162/2020 (RCMS 2020/00285) सुरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह मार्फत सुरेन्द मेडिकल स्टोर चौतीना कुआँ, बीकानेर (मोबाईल नं 9828121812) बनाम तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपील पत्र के साथ तहसीलदार, सूरतगढ के पत्रांक 23.11.2020 के अनुसार एक आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2020 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2020 की प्रति संलग्न नहीं की है परन्तु प्रस्तुत अपील में अंकित अपील के संक्षिप्त तथ्य के अनुसार अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

- चक 226 आर डी तहसील सूरतगढ मुरब्बा नम्बर 173/45 किला नम्बर 6,7 व मुरब्बा नम्बर 173/37 किला नम्बर 1,2,3 असिंचित पॉच बिघा स्मालपेच में आवंटन की गई है। स्माल पेच आवंटन के विरूद्व न्यायालय में कार्यवाही हुई, जिसमें न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रार्थी ने निवेदन किया जिस पर प्रार्थी को कहा गया कि विभाग ने मान्य उच्च न्यायालय में कार्यवाही कर दी है।
- श्रीमान प्रार्थी को जानकारी के ... आज उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही लम्बित नही है, विभाग की कार्यवाही निरस्त कर दी है।
- कृपया सूचना प्रदान करे की प्रार्थी के आंवटन के बाद र... रिकार्ड में नाम दर्ज करने की कार्यवाही क्यो नही की जा रही है, यदि किसी भी न्यायालय का कोई भी आदेश है तो उसकी प्रति सूचना में प्रदत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाआ/2021/ 370 दिनांक 19.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र से प्रस्तुत अपील सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार, सूरतगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है :
>
> 1. यह है कि आवेदक सुरेन्द्र सिंह द्वारा एक आवेदन दिनांक 06.10.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर चक 226 आरडीआर तहसील सूरतगढ के मु0न0 173/45 कि0न0 6,7 व मु0न0 176/37 कि0न0 1,2,3 असिंचित 5 बीघा स्माल पेच आवंटन की अपने पक्ष मे नामान्तरकरण की कार्यवाही चाही गई है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि किसी भी न्यायालय स्तर पर कोई भी कार्यवाही विचाराधीन नही है।
> 2. यह है कि प्रार्थी को उसके द्वारा दिये गये प्रा0प0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदन पत्र में चक 226 आरडीआर में आवंटित 5 बीघा भूमि कब किस अदालत के आदेश से आवंटित हुई। विशिष्टियां अंकित नही है। आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नही होने से आवंटित भूमि का नामान्तरण नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किया गया है। इस बाबत प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2020/4593 दिनांक 23.11.2020 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
> 3. यह है कि प्रार्थी अदालती प्रक्रिया से किये जाने वाले कार्यो को सूचना का अधिकार को माध्यम बनाकर कार्यवाही करवाना चाहता है। जो कि विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:37 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा दिया जा चुका है। <u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों</u>

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद [illegible] तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:37 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर